अभिकर्ता के स्वामी के प्रति कर्तव्य

(i) स्वामी के निर्देशानुसार कारबार संचालित करने का कर्तव्य (धारा 211) अभिकर्ता अपने मालिक का कारबार मालिक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अथवा ऐसे किन्हीं निर्देशों के अभाव में उस रूढ़ि के अनुसार जो उस स्थान पर जहाँ अभिकर्ता उस कारबार का संचालन करता है, उसी प्रकार के कारबार के करने में प्रचलित है, संचालित करने के लिए बाध्य है.

(ii) धारा 212 से अभिकर्ता कारबार का संचालन जब तक मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना न हो उसी कौशल से करने को बाध्य है जितना वैसे ही कारबार में लागू सामान्यतया व्यक्ति करते हैं.

(iii) धारा 215 के अनुसार जब कोई एजेन्ट अपने मालिक की पूर्व सम्मति अभिप्राप्त किये बिना और उनको उन सारवान् परिस्थितियों में से जो उस विषय पर उसके ज्ञान में आयी हो, परिचित किये बिना अभिकरण के कारबार में अपने लिए व्यवहार करता है, तब मालिक उस संव्यवहार का यदि मामले से यह दर्शित होता है कि या, तो कोई सारवान तथ्य छिपाया गया है या अभिकरण के व्यवसाय के लिए अलाभप्रद रहा है, प्रत्यादिष्ट कर सकेगा.

(iv) धारा 216 से अभिकर्ता अपने मालिक के ज्ञान के बिना अभिकरण के कारबार में अपने मालिक के लेखे के बजाय अपने लेखे में व्यवहार करता है, तो मालिक एजेन्ट से किसी लाभ को लेने का जो उसे किसी संव्यवहार से हुआ है. दावा करने का अधिकारी है.

(v) **मालिक को लेखा देने का कर्तव्य (धारा 213)**–धारा 213 के अनुसार मालिक द्वारा माँगने पर एजेन्ट उचित लेखा देने के लिए बाध्य है.

(vi) धारा 214 के अनुसार अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की अवस्था में अपने स्वामी को संसूचित करे व उसका अनुदेश प्राप्त करे.

(vii) धारा 190 से अभिकर्ता दूसरे को साधारणतया नियोजित न कर सकेगा.

अभिकर्ता के अधिकार

(i) **क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार**–धारा 222 के अनुसार एजेन्ट का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए जोकि ऐसे एजेन्ट के नाते अपने प्रदत्त अधिकार के प्रयोग में किये गये हैं, ऐसे अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने को बाध्य हैं.

(ii) **कर्तव्य के लिए पारिश्रमिक पाने का अधिकार**– अभिकर्ता पारिश्रमिक पाने का हकदार है.

धारा 219 से एजेन्ट बेची गयी वस्तु के लिए मिली राशि को निरुद्ध कर सकेगा चाहे विक्रय अपूर्ण है अथवा पूर्ण.

लेकिन धारा 220 से जब अभिकर्ता अभिकरण के कारबार में कुसंचालन के लिए दोषी है, वह कारबार के अंश के लिए जिसका उसने कुसंचालन किया है पारिश्रमिक का हकदार न होगा.

(iii) धारा 225 के अनुसार यदि कोई क्षति अभिकर्ता को हुयी है, तब उसके लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है. जब वह मालिक की उपेक्षा या कौशल के अभाव से कारित हुयी.

(iv) धारा 221 से अभिकर्ता को किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में हक है कि मालिक को उन वस्तुओं, कागज, पत्र एवं अन्य सम्पत्ति चाहे स्थावर है अथवा जंगम जो एजेन्ट को प्राप्त हुई है, तब तक प्राधिकृत रख सकेगा, जब तक कमीशन, परिव्यय, सेवा के लिए शोध्य रकम उसे प्रदान न कर दी जाए.

(v) धारा 217 से मालिक से प्राप्त राशियों में से अभिकर्ता प्रतिधारित कर सकेगा.